

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारी:—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :-82 / 2025

प्रार्थी:—

ओगड़मल पुत्र चुन्नीलाल जाति नाई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती

उपस्थित :-

श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश :-

दिनांक :- 12.09.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1521, 1522, 1533 व 1534 कुल रकबा 12.2236 हैक्टेयर भूमि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 941 रकबा 16.0660 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट, पेनकार्ड, विद्यालय का प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का वास्तविक नाम "ओगड़मल पुत्र चुन्नीलाल" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "बाबूलाल पुत्र चुन्नाराम" व "नाबालिग बाबु पुत्र चुन्ना सरंक्षक सरपरस्त श्रीमती सुकी पत्नी चुन्नाराम " लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1552 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी व परिवार राशनकार्ड की प्रति पेश किया।



प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी वास्तविक नाम "ओगड़मल पुत्र चुन्नीलाल" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1521, 1522, 1533 व 1534 कुल रकबा 12.2236 हैक्टेयर भूमि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 941 रकबा 16.0660 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "बाबूलाल पुत्र चुन्नाराम" व "नाबालिग बाबु पुत्र चुन्ना सरंक्षक सरपरस्त श्रीमती सुकी पत्नी चुन्नाराम" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी बालिग है अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी व परिवार राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी वास्तविक नाम "ओगड़मल पुत्र चुन्नीलाल" की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी नाम " बाबूलाल पुत्र चुन्नाराम" व "नाबालिग बाबु पुत्र चुन्ना सरंक्षक सरपरस्त श्रीमती सुकी पत्नी चुन्नाराम" नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1521, 1522, 1533 व 1534 कुल रकबा 12.2236 हैक्टेयर भूमि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 941 रकबा 16.0660 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम " बाबूलाल पुत्र चुन्नाराम" व "नाबालिग बाबु पुत्र चुन्ना सरंक्षक सरपरस्त श्रीमती सुकी पत्नी चुन्नाराम" के स्थान पर "ओगड़मल उर्फ बाबूलाल उर्फ बाबू पुत्र चुन्नीलाल" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बिहार)